upload pep 13/5/15

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः– एफ 27(151)/ग्रावि/ग्रुप–5/सुराज संकल्प–13/2014 जयपुर, 12 मई 2015

आदेश –2015/15

इन्दिरा आवास योजना की पात्रता सूची के अतिरिक्त राज्य के अन्य आवासहीन गरीब परिवार जो इन्दिरा आवास योजना हेतु पात्र नहीं है, को आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–2016 के बजट में आवास योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना का नाम **अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना** होगा। इस योजना में लाभ हेतु ऐसे परिवारों को सूचीबद्ध किया जावेंगा जो इन्दिरा आवास योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं है, एवं आवासहीन/कच्चा आवास/जीण–शीर्ण पक्का आवास में निवास कर रहे है ।

अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु पात्रता व वरीयता सूची निर्धारण के लिए निम्न प्रकिया अपनाई जावें :–

क्र. सं.	चिन्हित श्रेणी	योग्यता हेतु मापदण्ड
1.	विकलांग परिवार	• विकलांग से तात्पर्य निःशक्तजन अधिनियम, 1995 में परिभाषित विकलांग व्यक्ति से है । • विकलांग का वयस्क होना अनिवार्य है । • विकलांग परिवार के पास विकलांग परिचय पत्र व पास बुक होना अनिवार्य है । • अस्थायी रूप से विकलांग व सीमित अवधि के लिए विकलांग आवास हेतु पात्र नहीं होंगे । • योजनान्तर्गत लाभ की पात्रता हेतु अधिकतम वार्षिक आय की सीमा समाज कल्याण विभाग के संशोधित आदेश कमांकः एफ. –16(1)(25)वि.क./बजटघोषणा/स.क.वि./04/4884 दिनांक 03.02.06 के अनुसार 1.20 लाख रूपये होगी । • समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में लाभ प्राप्ति हेतु आय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी इस योजना हेतु भी अधिकृत होंगे ।
2.	आस्था कार्डधारी परिवार	• आस्था कार्डधारी परिवार का विकलांग सदस्य वयस्क होना अनिवार्य है । • योजनान्तर्गत लाभ की पात्रता हेतु अधिकतम वार्षिक आय की सीमा समाज कल्याण विभाग के संशोधित आदेश कमांकः एफ. –16(1)(25)वि.क./बजटघोषणा/स.क.वि./04/4884 दिनांक 03.02.06 के अनुसार 1.20 लाख रूपये होगी ।

		• समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में लाभ प्राप्ति हेतु आय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी इस योजना हेतु भी अधिकृत होंगे ।
3.	अन्त्योदय परिवार	• राज्य सरकार द्वारा जारी अन्त्योदय कार्डधारी परिवार योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे । • योजनान्तर्गत लाभ की पात्रता हेतु अधिकतम वार्षिक आय की सीमा समाज कल्याण विभाग के संशोधित आदेश क्रमांकः एफ. –16(1)(25)वि.क./बजटघोषणा/स.क.वि./04/4884 दिनांक 03.02.06 के अनुसार 1.20 लाख रूपये होगी । • समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में लाभ प्राप्ति हेतु आय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी इस योजना हेतु भी अधिकृत होंगे ।
4.	एकल विधवा परिवार	• एकल विधवा परिवार से अभिप्राय ऐसी विधवा से है जिसकी कोई भी वयस्क पुरूष सन्तान नहीं है । • योजनान्तर्गत लाभ की पात्रता हेतु अधिकतम वार्षिक आय की सीमा समाज कल्याण विभाग के संशोधित आदेश क्रमांकः एफ. –16(1)(25)वि.क./बजटघोषणा/स.क.वि./04/4884 दिनांक 03.02.06 के अनुसार 1.20 लाख रूपये होगी । • समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में लाभ प्राप्ति हेतु आय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी इस योजना हेतु भी अधिकृत होंगे ।
5.	अन्य जिलों में निवास कर रही आदिवासी जनजाति परिवार	• जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग से राज्य के अधिसूचित जनजातिय जिलों के अलावा अन्य जिलों में निवास कर रही आदिवासी जनजाति जातियों के परिवार योजना के पात्र होंगे
6.	राज्य बी.पी.एल. सूची के परिवार .	• राज्य बी.पी.एल. सूची में सम्मिलित सभी आवासहीन/कच्चे आवास/जीण–शीर्ण पक्का आवास वाले परिवार इस हेतु पात्र होंगे ।

उक्त पात्रता के आधार पर ग्राम पंचायतवार/श्रेणीवार पात्रता सूची हेतु निम्नानुसार दायित्व निर्धारित किए जाते है ।

जिला परिषद का दायित्व :–

1. आस्था कार्डधारी परिवार, अन्त्योदय परिवार एवं आदिवासी जनजाति परिवार (टी.एस.पी. क्षेत्र को छोडकर) की अधिकृत सूचियां सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करेंगी ।

2. उक्तानुसार प्राप्त पात्रता सूचियों (एकल विधवा व विकलांग परिवार के अतिरिक्त) को पंचायत समितिवार/ग्राम पंचायतवार तैयार कर सम्बन्धित पंचायत समिति को सर्वे/सत्यापन की दिनांकवार कार्य योजना के साथ उपलब्ध करवायेंगी ।

3. सर्वे/सत्यापन उपरान्त पंचायत समितिवार/ग्राम पंचायतवार प्राप्त सूची के आधार पर जिला परिषद आदेश –2015/14 दिनांक 15.04.15 में वर्णित श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार कर अन्तिम प्रकाशन करेंगी ।

4. आदेश –2015/14 दिनांक 15.04.15 के अनुसार उक्त तैयार की गयी सूची में नाम जोडने व हटाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अधिकृत होंगे ।

5. ग्रामीण विकास विभाग अनुभाग–5 से प्राप्त वार्षिक वर्गवार लक्ष्यों के अनुरूप पंचायत समितिवार/ग्राम पंचायतवार लक्ष्य आवंटित कर प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी करेंगे ।

पंचायत समिति का दायित्व :–

1. विकास अधिकारी जिला परिषद से प्राप्त ग्राम पंचायतवार विभिन्न श्रेणीयों की अधिकृत सूची को ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायतवार को सर्वे/सत्यापन हेतु उपलब्ध करवायेंगे ।

2. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायतवार से भौतिक सत्यापन उपरान्त प्राप्त सूची में, अधिक उम्र वाले को प्रथम वरीयता देते हुए सूचियां तैयार करवायेंगे । एक ही उम्र होने पर महिला को पहली प्राथमिकता दी जावें ।

3. उक्तानुसार तैयार सूचियों को ग्राम सभा में अनुमोदन करवाने हेतु ग्राम सभाओं का कलेन्डर निर्धारित करेंगी ।

4. ग्राम सभा से अनुमोदित सूचियों को पंचायत समिति की साधारण सभा में अनुमोदित करवाकर जिला परिषद को प्रेषित करेंगी ।

5. इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर आवासों का निर्माण सुनिश्चित करवाया जावेंगा।

ग्राम पंचायत का दायित्व :–

1. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायतवार उक्त सभी श्रेणीयों के परिवारों का (उपरोक्तानुसार पात्रता के मद्देनजर) सर्वे/सत्यापन दिनांक 31.05.15 तक कर सत्यापित सूची श्रेणीवार विकास अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे ।

2. पंचायत समिति से प्राप्त वरीयता सूची का ग्राम सभा में अनुमोदन कराकर पंचायत समिति को प्रेषित करेंगे ।

3. इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर आवासों का निर्माण सुनिश्चित करवाया जावेंगा।

उपरोक्तसानुसार लक्षित समूह के चयन हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति उत्तरदायी होगें। लक्षित समूह के चयन के लिऐ उपलब्ध डाटा के आधार पर सूची बनाकर सत्यापन उपरान्त ग्राम सभा में चर्चा उपरान्त, प्राप्त अनुमोदन के अनुसार अन्तिम रूप दिया जावेंगा । ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त वर्गवार सूचियों का पंचायत समिति की साधारण सभा में अनुमोदन उपरान्त जिला परिषद को 15.06.2015 तक प्रेषित करेंगी । अन्तिम सूची जिला परिषद द्वारा 30 जून 2015

तक प्रकाशित करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद यह सूची वरीयता क्रम में प्रकाशित करेंगे। अन्तिम सूची में नाम हटाने व जोडने के लिए अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के यहां करनी होगी। योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में अन्य चिन्हित वर्गों में से एकल विधवा परिवार (आवासहीन) को विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा सत्यापन कर प्रथम वरीयता से लाभान्वित किया जावेगा।

क्रियान्वयन:–

इन्दिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में उपयोग में लिये जा रहे परिपत्र, किशत हस्तांतरण प्रक्रिया, उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र प्रक्रिया आदि समस्त प्रक्रिया योजना के क्रियान्वयन के लिऐ प्रभावी होगी।

(श्रीमत् पाण्डेय)
प्रमुख शासन सचिव
12/5

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल राजस्थान ।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान ।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव माननीय मंत्री, राजस्थान सरकार ।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव समस्त विभाग राजस्थान सरकार ।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान सरकार ।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
9. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज ।
10. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा ।
11. परियोजना निदेशक मो. एण्ड मु., ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि आदेश को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड
12. परियोजना निदेशक/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास, मुख्यालय । करवाने का कष्ट करें।
13. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद, राजस्थान ।
14. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान ।
16. समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान ।
17. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास,/पंचायती राज मुख्यालय ।
18. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त ।

शासन सचिव

Letter 27